

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सूचना

सूचना सं0-2/नि0 1-103/12 ७४

पटना, दिनांक— ५/५/१८

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व से विभिन्न वर्षों/चरणों में संविदा पर नियोजित कुल 4 कनीय अभियता (असैनिक) जिनकी सविदा अवधि समाप्त हो चुकी है। दिनांक—13.03.18 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सख्ता—06 के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई एवं तदनुसार निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—67 दिनांक—27.03.18 के आलोक मे अगले एक वर्ष के लिए पुर्नियोजन हेतु एकरारनामा करना है। इस हेतु निम्न इच्छुक उम्मीदवारों को सूचना प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर विहित प्रपत्र मे सरकार के साथ एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा के साथ पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटो एवं असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जिला
1	श्री आर० एस० श्रीराज	श्री राम सेवक प्रसाद,	C/0- श्री रमेश प्रसाद दांगी, शहदघर, बाल्मी गेट न०-०१, जानीपुर रोड, फुलवारीशरीफ, पटना, पिन—८०१५०५	गया
2	श्री रामजतन कुमार	स्व० कटिमन प्रसाद यादव	ग्राम—नवटोलिया (बिन्दवारा), थाना—कासिम बाजार, पो०+जिला—मुंगेर, बिहार	मुंगेर
3	मो० गुलाम गौस अंसारी	मो० खलीस अंसारी	मो०—मोगलपुरा, पो०—लालबाग, थाना—लहरिया सराय, जिला—दरभागा, पिन—८४६००४	दरभंगा
4	श्री विक्रांत कौशिक	श्री वलदेव प्रसाद साहु	ग्राम+पो०—कमरुद्दीनुपर, भाया—उलाव, जिला—बैगूसराय, पिन—८५११३४	बैगूसराय

अत उक्त को सूचित किया जाता है कि असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अलावे हाल का दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक सरकार के साथ सलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पादित करे अन्यथा अगले एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन पर विचार नहीं किया जायेगा।


 (दया शंकर सिंह) १८
 संयुक्त सचिव (प्र०का०)

E-mail

ज्ञापांक- 2/नि० 1-103/12 नं ८

दिनांक- ५/५/१८

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख का कोषाग/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रूपाकण एवं योजना सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रूपांकन एवं योजना सहित)/बजट शाखा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दया शंकर सिंह) १८
संयुक्त सचिव (प्र०का०)

ज्ञापांक- 2/नि० 1-103/12 नं ८

दिनांक- ५/५/१८

प्रतिलिपि- विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।


(दया शंकर सिंह) १८
संयुक्त सचिव (प्र०का०)

ज्ञापांक- 2/नि० 1-103/12 नं ८

दिनांक- ५/५/१८

प्रतिलिपि- सभी सबधित सविदा आधारित कार्यरत कनीय अभियता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दया शंकर सिंह) १८
संयुक्त सचिव (प्र०का०)

Rangan

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015

(संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा)

यह एकरारनामा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही हैः—

1. यह नियोजन केवल कनीय अभियंता (असैनिक) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर अधिकतम 01 (एक) वर्ष के लिए किया जायेगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री को 27,000/-रुपये प्रति माह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. संविदा के नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

नियोजित कनीय अभियंता
का हस्ताक्षर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना

~~6/12~~